स्वयं सहायता ही सर्वोतम सहायता :
संगठन में शक्ति

HelpAge International
age helps

Gravis

स्वयं सहायता ही सर्वोतम सहायता : संगठन में शक्ति

2010

प्रकाशक :

ग्राविस

ग्रामीण विकास विज्ञान समिति
3/437, 458 मिल्कमेन कॉलोनी, पॉल रोड़
जोधपुर – 342008, राजस्थान
फोन : 0291-2785317, 2785549, 2785116
फैक्स : 0291 - 2785116
ईमेल : email@gravis.org.in
वेबसाइट : www.gravis.org.in

संपादक: डॉ. प्रकाश त्यागी

सहयोग :

हैडकॉन

हैल्थ एनवायरमेन्ट एण्ड डवलपमेन्ट कन्सोर्टियम
67/145, प्रताप नगर, सांगानेर
जयपुर – 302022, राजस्थान
फोन : 0141-2792994, 2790741
ईमेल : hedcon2004@yahoo.com
वेबसाइट : www.hedcon.org

© ग्राविस

यूरोपियन यूनियन एवं हैल्प एज इन्टरनेशनल (यू.के.) के आर्थिक सहयोग से पी.ओ.सी. परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशित

ISBN 978-81-977754-4-4

प्राक्कथन

विश्व के सभी हिस्सों में वृद्ध संख्या का अनुपात बढ़ता ही जा रहा है। यही स्थिति भारत में भी बनी हुई है। वृद्धों की इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए उचित सुविधाओं व योजनाओं की कमी है, जिसके कारण बहुत से वृद्ध कठिनाईयों के साथ जीने को विवश हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है।

राजस्थान का थार मरूस्थल, दूनिया का सबसे दुर्गम और शुष्क क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से कमज़ोर, संसाधनों की अल्पता से ग्रस्त और आर्थिक विकास के लिए अपर्याप्त स्त्रोत होने के कारण पिछड़ा क्षेत्र रहा है। इन सभी कारणों की वजह से यहाँ रहने वाली अधिकतर जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतित कर रही है। यही कारण है कि ज्यादातर पुरूषों (युवकों) को क्षेत्र से बाहर पलायन करना पड़ता है और पीछे रहने वाले बुजुर्गों की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। यही नहीं बहुत से परिवार टूट भी जाते है और माता – पिता को उम्र के आखरी पड़ाव में विषम परिस्थितियों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। इन विषमताओं को महसूस करते हुए और वृद्धों के प्रति बढ़ती अपेक्षा को देखते हुए ग्राविस द्वारा संचालित **''राजस्थान के कमजोर वर्गो में वृद्धों के नेतृत्व द्वारा निर्धनता उन्मूलन''** (POC) परियोजना जोधपुर और जैसलमेर में चलाई जा रही है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धों को उनके अधिकारों से अवगत करवाना और उन्हें आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा देना है। परियोजना द्वारा वृद्धों के स्वास्थ्य, अधिकार, सामाजिक विषमताओं को आधार मानकर अपेक्षित गतिविधियाँ की जा रही है।

वृद्धों में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राविस द्वारा यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है। हैल्पेज इन्टरनैशनल और यूरोपियन यूनियन के सहयोग से यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इस पुस्तिका के लेखन में शिवानी सैनी के सहयोग का धन्यवाद करती हूँ तथा इसके संकलन के लिए हैडकॉन संस्था और ग्राविस से जुड़े साथियों को धन्यवाद देती हूँ।

शशि त्यागी
सचिव

स्वयं सहायता ही सर्वोतम सहायता : संगठन में शक्ति

अपना गांव

जन संपर्क

आम सभा

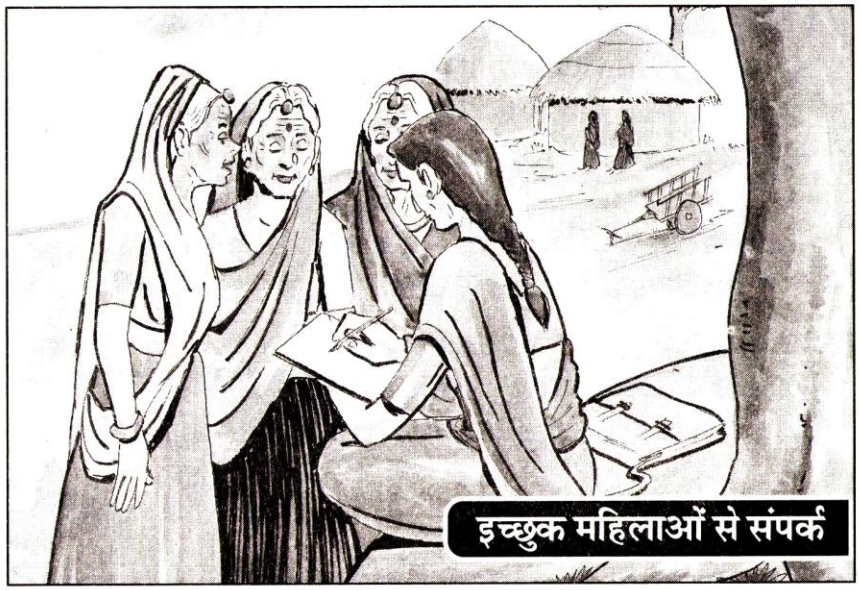
इच्छुक महिलाओं से संपर्क

जन संपर्क :

गांव के लोगों के साथ बातचीत करना और परियोजना से संबंधित जानकारी गांव के लोगों को देना आवश्यक है। परियोजना से जुड़े उद्देश्यों और कार्यक्रमों के बारे में गांव के लोगों को विस्तार से बताना चाहिए। इस समय एकत्रित महिलाओं से बातचीत करना और समूह में जुड़ने से पहुंचने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करें। यही नहीं उन्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित करना और चर्चा करनी चाहिए।

आम सभा :

गांव के लागों के साथ मिलकर एक आम सभा का आयोजन करना चाहिए । लोगों को परियोजना से संबंधित उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। आम सभा में एकत्रित महिलाओं को भी बातचीत के लिए प्रेरित करना और उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस सभा में समूह बनने से लेकर उसके परिपक्व होने तक की प्रक्रिया को महिलाओं के साथ समझ बनानी चाहिए।

इच्छुक महिलाओं से संपर्क करना :

आम सभा के बाद में, इच्छुक महिलाओं से और जरूरतमंद महिलाओं से संपर्क करना आवश्यक है। इच्छुक महिलाओं से उनके घर पर भी जाकर संपर्क करना चाहिए और उसी के माध्यम से उसके पड़ौस में रहने वाली महिलाओं को भी संबोधित करना और समूह में जुड़ने के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

समूह का गठन करना

समूह का गठन करना :

10 से या उससे अधिक महिलाओं के आवेदन पर समूह का गठन करना चाहिए। समूह के गठन के उपरांत, समूह का नाम रखना चाहिए। हर समूह का अपना एक नाम होता है। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में समूह की सभी सदस्यों का होना आवश्यक है। इसके पश्चात्, समूह की महिलाओं की सूची का निर्माण किया जाता है। समूह की सभी सदस्यों की एक विस्तरित रिर्पोट तैयार की जाती है। जिसमें उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मूल रूप से दर्शाने का प्रयास किया जाना आवश्यक है।

समूह की सदस्यों के गठन के उपरांत, समूह की एक निम्नावली तैयार की जाती है। जिसमें बैठक की निर्धारित तिथि का चयन करना, सदस्यों की मासिक किश्त आधारित करना, बैठक के लिए स्थान का चयन करना, मासिक बैठक में अनुपस्थित सदस्य के लिए दण्ड तय करना और समूह से जुड़ी किसी भी प्रकार के नियमों का चयन करना शामिल रहता है। ब्याज दर, चुकौती की अवधि क्या होगी और बैंक से लिए जाने वाले ऋण और उसकी चुकौती के लिए सामूहिक तरीके से तीथि का चयन किया जाता है।

अध्यक्षों का चयन करना

पद्‌धिकारियों का चयन करना :

समूह के नेतृत्व करने के लिए तीन सदस्यों का मुख्यता रूप से चयन किया जाता है। समूह में उपस्थित सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से पद्‌धिकारियों का चयन किया जाता है। तीन पदों के लिए आवेदन के लिए जाते है –

(1) अध्यक्ष

(2) सचिव

(3) कोषाध्यक्ष

इन पद्‌धिकारियों की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती है –

अध्यक्ष – समूह की अध्यक्षता करना। अगर किसी कारण से मिटिंग/बैठक स्थिगित करनी पड़ी तो सचिव को सूचन दे जो कोषाध्यक्ष और सचिव मिलकर करेंगे। किसी तरह की समस्या समूह में अगर आ रही है तो उसका निर्णय अध्यक्ष करेंगे।

सचिव – समूह की बैठक समय–समय पर करवाना। समूह का पूरा रिकॉर्ड सचिव के पास रहेगा। समूह की कार्यवाही लिखना। समय पर बैठक की सूचना देना। अगर किसी कारण समूह की बैठक स्थगित करनी पड़े तो पहले सूचित करना।

कोषाध्यक्ष – समूह की समय पर किश्त लेना। समूह की बैंक रसीद कटवाना और उसे रजिस्टर में लगाना। समूह राशि बैंक में जमा करवाना। समूह के केश संबंधित रेकॉर्ड तैयार करना।

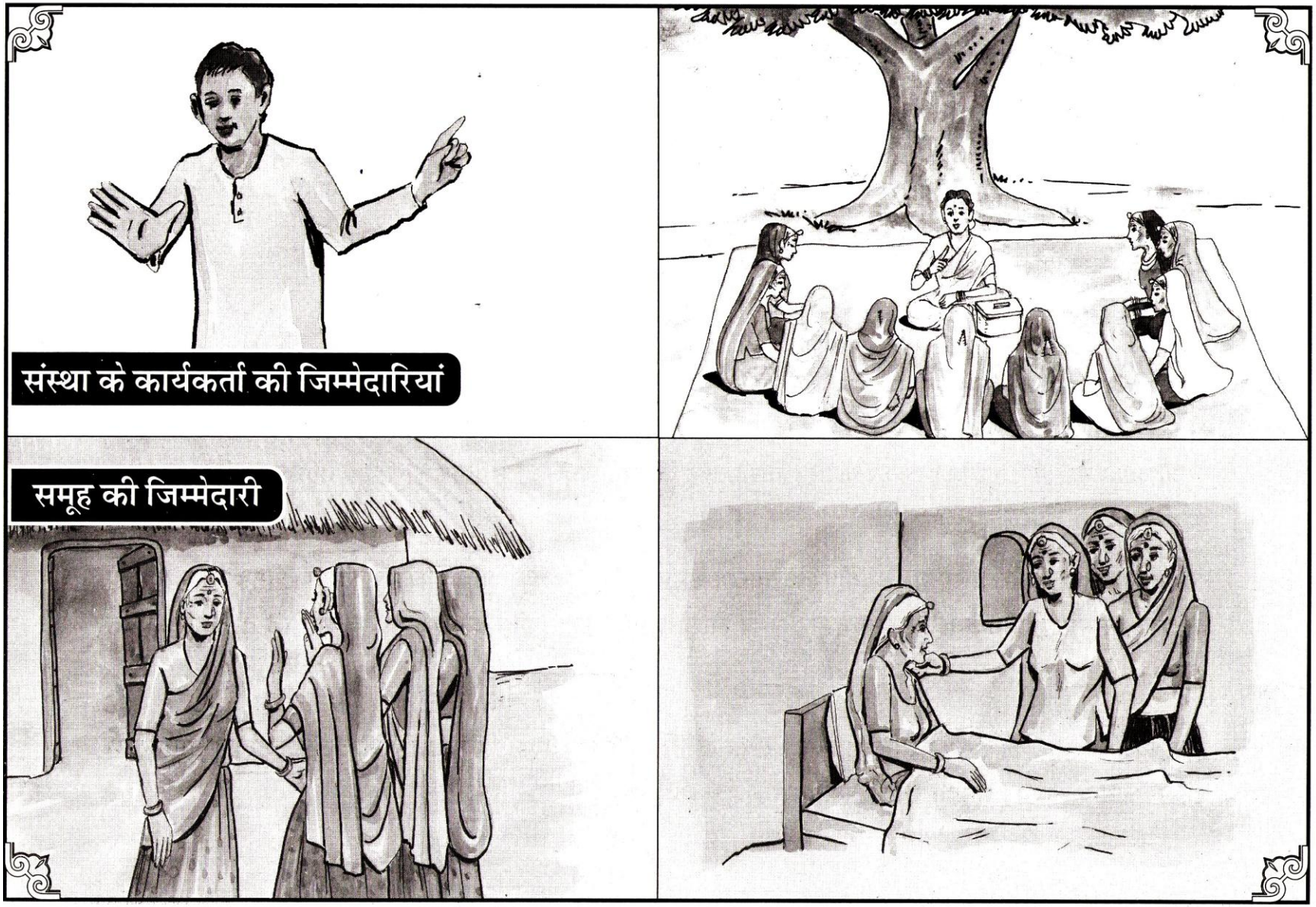
संस्था के कार्यकर्ता की जिम्मेदारियां
समूह की जिम्मेदारी

संस्था के कार्यकर्ता की जिम्मेदारियां :

संस्था द्वारा कार्यरत कार्यकर्ता की जिम्मेदारी समूह बनाना, समूह की मासिक बैठक में भाग लेना, बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना, किश्त का जोड़ लगाना, रेकॉर्ड की जांच रखना, बैंक डायरी का निरीक्षण करना, बैंक में जमा राशि की रसीदों की जांच करना और बैंक में खाता खुलवाने जैसी मुख्य जिम्मेदारियाँ एक कार्यक्रर्ता की होती हैं।

समूह की जिम्मेदारी :

अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारियों के अलावा, समूह की जिम्मेदारी है कि :–

- समूह की हर मासिक बैठक में भाग लेना।
- समूह की ओर सदस्यों से संपर्क बनाए रखना।
- भाईचारे से समूह में एकता बनाए रखना।
- समूह की बढ़ोतरी के लिए अपना सहयोग देना
- समूह की मासिक बैठकों में सामाजिक विषयों को लेकर चर्चा में भाग लेना।
- मसिक किश्त समय पर जमा करना।

समूह से जुड़े दस्तावेज

समूह से जुड़े दस्तावेज :

(1) कार्यवृत पुस्तिका – इस पुस्तिका में बैठकों की कार्यवाही, समूह के नियमों और सदस्यों के नामों आदि का रिकॉर्ड रखा जाता है।

(2) बचत ओर ऋण रजिस्टर – इसमें सदस्यों की अलग–अलग और पूरे समूह की एक साथ बचत दिखाई जाती है। सदस्यों द्वारा दिए गए ऋणों, चुनौतियों एकत्रित ब्याज आदि भी इसी में संकलित रूप से लिखे जाते है।

(3) साप्ताहिक रजिस्टर – इसमें प्राप्तियों और भुगतानों का सारांश होता है जो हर बैठक में पूरा किया जाता है।

(4) सदस्यों की पासबुक – प्रत्येक सदस्य को संस्था द्वारा अलग–अलग पासबुक दी जाती है जिसमें उसकी बचत ओर लिए गये ऋण की जानकारी नियमित रूप से लिखी जाती है।

समूह के पास रहने वाले आवश्यक दस्तावेज :

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. व्यक्तिगत डायरी (संस्था द्वारा)
3. बैंक डायरी (संस्था द्वारा)
4. जमा राशि के लिए एक बक्सा
5. समूह का पैसा (कोषाध्यक्ष)

संस्था द्वारा शक्तिकरण प्रशिक्षण

संस्था द्वारा सशक्तिकरण प्रशिक्षण :

समूह की सदस्यता के लिए संस्था द्वारा समूह में एकागर्त होकर रहने और समूह से होने वाले आर्थिक लाभों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के द्वारा समूह की महिलाओं को समूह क्या होता है, समूह की विशेषताऐं समूह से जुड़े सदस्यों के निर्धारित नियम, सदस्यों में एकता बनाए रखना, सबको समान आदर देना, समूह में सहभागिता बनाए रखना आदि के बारे में प्रशिक्षण के द्वारा समूह की महिलाओं की चित्रों, कहानियों और मौखिक रूप से समझाई जाती हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड के रखरखाव के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस प्रशिक्षण द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उपस्थित महिलाओं की भागीदारी बनी रहे और प्रशिक्षण में हुई सभी बातों को मासिक बैठकों में दोहराते रहना चाहिए ताकि उनका अभ्यास बना रहे।

समूह का बैंक में खाता खोलना

तीन महीनें के बाद, रिकॉर्ड, जांच के बाद बैंक में बचत खाता खोलना जा सकता है।

समूह का बैंक में खाता खोलना :

स्वयं सहायता समूह बैंक में बचत खाता खोलने के लिए एक प्रस्ताव समूह की बैठक में रखा जाता है। संस्था के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी रहती है कि समूह की महिलाओं से बातीचत करके उनके द्वारा एक मांग पत्र फोटो के साथ तैयार करे। इस पत्र में समूह के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। संस्था की मोहर के साथ मांग पत्र बैंक में दिया जाता है।

बैंक खाता खोलते समय, समूह के पदाधिकारी (तीन पदाधिकारी) इस खाते को प्राधिकृत करते है। यह खाता के लिए मुख्य रूप से तीनों पदाधिकारियों की जिम्मेदारी अधिक होती है। बैंक खाते से किसी भी प्रकार की राशि के आवागमन के लिए तीनों पदाधिकारियों के हस्ताक्षर आवश्यक है। बैंक खाता खुलने के पश्चात् बैंक की पासबुक स्वयं सहायता समूह के नाम से ही दी जा सकती है। ना कि किसी सदस्य या कार्यकर्ता के नाम पर।

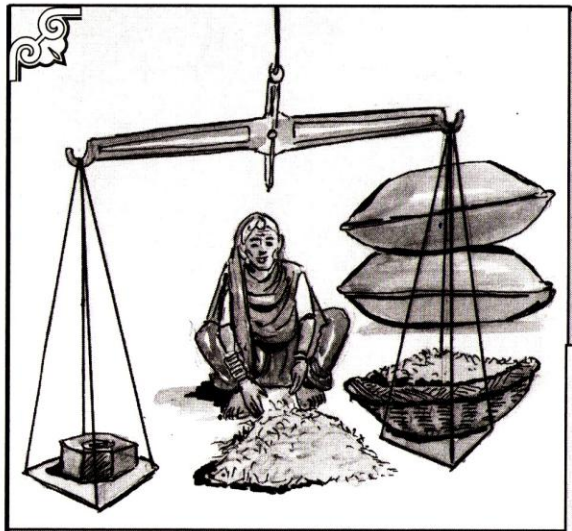

समूह का आंतरिक लॉन और लघु उद्योग/कुटीर उद्योग के लिए बैंक से लॉन।

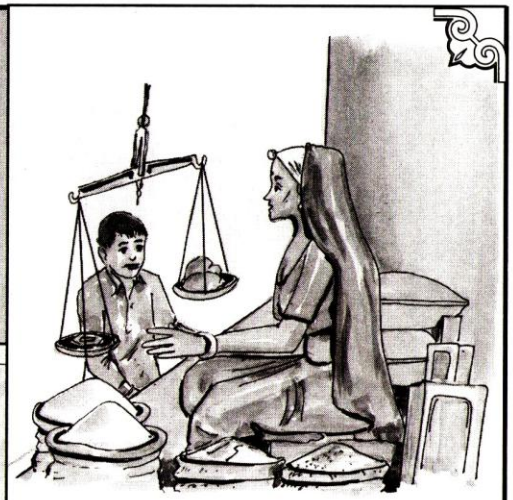

समूह का आंतरिक लॉन और लघु उद्योग/कुटीर उद्योग के लिए बैंक से लॉन।

तीन माह के बाद, बैंक स्वयं सहायता समूह को ऋण देता हैं । समूह को यह ऋण दिया जाता है ना कि किसी व्यक्ति प्रमुख को। बैंक से ली गई राशि को वापिस देने की जिम्मेदारी समूह की होती हैं। बैंक को वापिस देने वाली ऋण राशि या चुकौती समूह के सदस्य तय करते है ताकि वह समय से ऋण चुका सके। प्राप्त राशि से समूह की महिलाएं अनेको प्रकार के लघु उद्योगो में निवेश कर सकती है जैसे की : –

लघु उद्योग : –

1. शिल्प कला या कढ़ाई करना
2. सिलाई
3. दुकान लगाना

पशुपालन : –

1. चारा डिपो खोलना
2. पशुपालन करना
3. दुग्ध उत्पादन

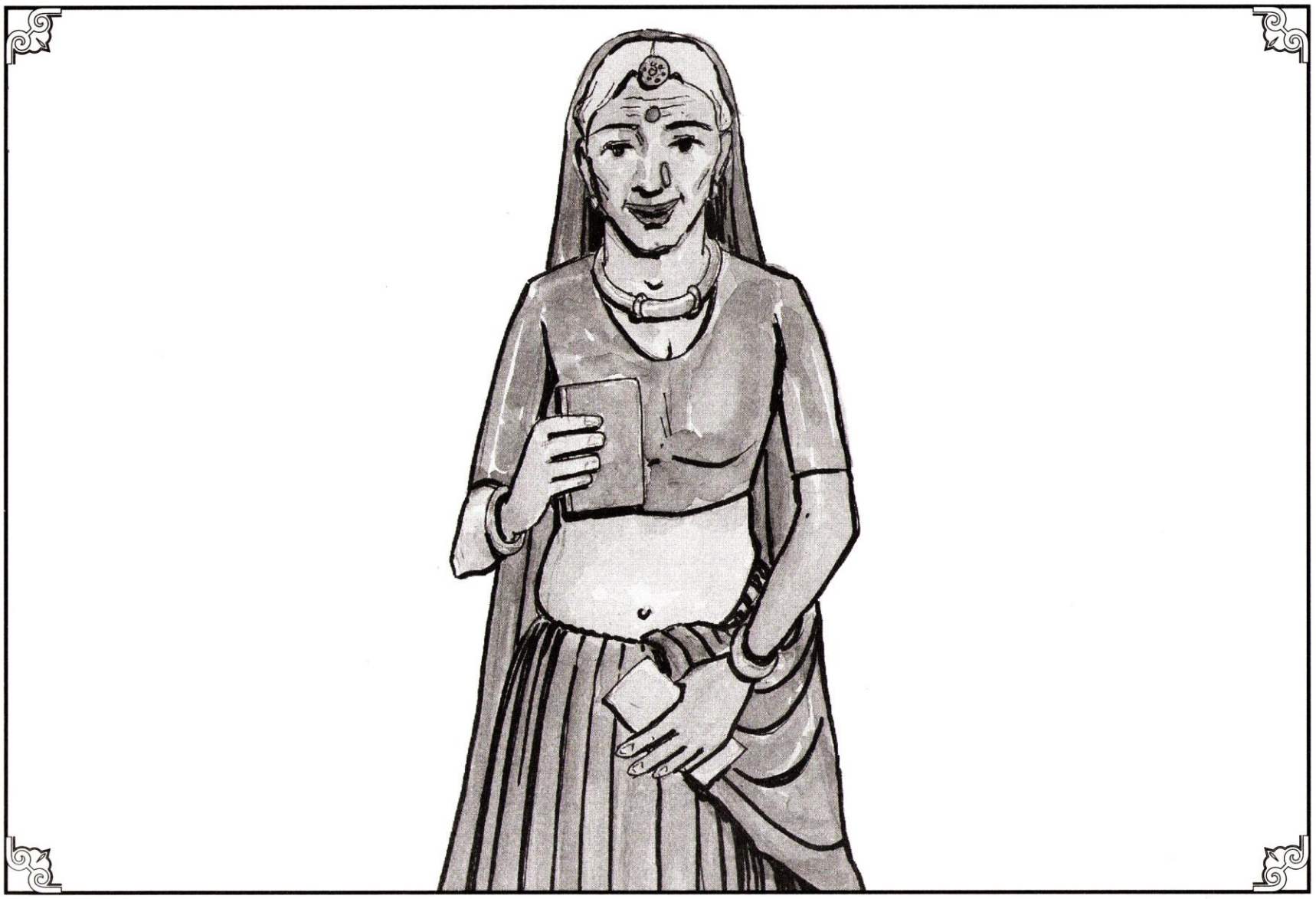

ग्रामीण विकास विज्ञान समिति (ग्राविस) एक गैरसरकारी, स्वैच्छिक संस्था है जो महात्मा गाँधी की विचारधारा से प्रेरित होकर थार मरूस्थल के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु प्रयासशील है। 1983 में स्थापित यह संस्था अब तक 50,000 परिवारों को लाभान्वित कर चुकी है। संस्था का कार्यक्षेत्र लगभग 850 गाँवों में फैला है तथा ग्राविस ने 1100 से अधिक सामुदायिक संगठनों को गठित किया है। अपने गम्भीर प्रयासों, अनुसंधान तथा प्रकाशनों के माध्यम से ग्राविस ने स्वैच्छिक जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है।

ग्राविस
3/437, 458, मिल्कमैन कॉलोनी,
पाल रोड़, जोधपुर, 342008
राजस्थान, भारत
फोन : 91 291 2785 317,
2785 549, 2785 116
फैक्स : 91 291 2785 116

ई मेल :
email@gravis.org.in
वेबसाईट :
www.gravis.org.in
Copyright(c) 2010
GRAVIS
All rights reserved.